वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम– परिवार नियोजन कार्यक्रम हेतु POL

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या– A.3.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

परिवार नियोजन आपरेशन कार्यक्रम जिलों में कैम्प Mode में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक आयोजित किए जाते हैं । प्रत्येक जिले में सभी PHC पर प्रशिक्षित सर्जन तथा एनेस्थिेटिस उपलब्ध नहीं है अतः जिला स्तर पर गठित टीम को बारी बारी से PHC तक भेज कर कैम्प मोड में परिवार नियोजन का ऑपरेशन किया जाता है । POL की राशि का उपयोग Mobility में किया जा सकता है । परिवार कल्याण कार्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर द्वारा अनुश्रवण भी आवश्यक है । अतः प्रति प्रा0स्वा0केन्द्र के दर से रू0 5000/– की राशि जिला स्तर पर रखने का प्रावधान किया गया है।

इकाई राशि कुल राशि (रू० में)–12000/– प्रति प्रा०स्वा०के०

5000/– प्रति प्रा0 स्वा0 के0 दर से जिला स्तर पर व्यय के लिए

कुल 17000/-

वित्तीय दिशा निर्देशन–

इस राशि का व्यय निम्नलिखित गतिविधियों पर किया जाना है –

1 परिवार नियोजन कैम्प में आपरेशन हेतु एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से दूसरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक जाने वाली टीम (डाक्टर, सर्जन, मुर्च्छक आदि) के POL/Mobility हेतु व्यय किया जाएगा । (As per actual)

2 परिवार कल्याण नोडल पदाधिकारी द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत क्षेत्र भ्रमण के लिए ।

3 राज्य के किसी भी Drug Store(राज्य स्वास्थ्य समिति/BSACS,Patna /गुलजारबाग,पटना) से जिला तक, परिवार नियोजन हेतु गर्भनिरोधक पदार्थों का उठाव

4 जिला से परिवार नियोजन हेतु गर्भनिरोधक पदार्थो का उठाव एवं प्रा०स्वा०के०/उपकेन्द्र तक वितरण सुनिश्चित करने हेतु।

5 जिला स्वास्थ्य समिति अपने स्तर से निर्णय लेकर Non-Performing प्रखंड की राशि ऐसे प्रखंड को हस्तान्तरित कर सकते है, जहाँ अधिक राशि व्यय हो रही हो।

निष्कर्ष 1 PHC स्तर तक परिवार नियोजन कैम्प का आयोजन ।
निष्कर्ष 2 परिवार कल्याण नोडल पदाधिकारी/जिला परिवार कल्याण कार्यक्रम पदाधिकारी के भ्रमण हेतु।
निष्कर्ष 3 Sub Centre स्तर तक गर्भनिरोधक सामग्रियों की उपलब्धता ।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप–निदेशक का नाम – डॉ० ए. के., शाही,/सुबोध जायसवाल
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप–निदेशक का फोन नं० : 9470003017/9431005971